

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों एवं लघु उद्योग कम आवासीय भू-उपयोग के भूखण्डों को "जहाँ है, जैसा है," के आधार पर

e-Auction पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

e-Auction का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रुपये 590/- मात्र
(विवरण पुस्तिका मूल्य रू0 500/- + 18 प्रतिशत GST रू0 90/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों एवं लघु उद्योग कम आवासीय भू-उपयोग के भूखण्डों को e-AUCTION पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें-

1. भूखण्डों का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
2. e-Auction में भाग लेने हेतु पात्रता—
 - (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - (ख) आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष होनी चाहिये।
 - (ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (ङ.) व्यक्तिगत स्वामी।
 - (च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।
 - (ज) एच0यू0एफ0।
 - (झ) पंजीकृत कर्सोर्टियम (Consortium) फर्म।
 - (ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)।
3. आवेदक को e-Auction में भाग लेने के लिये निम्नलिखित अभिलेख अपनी टेक्निकल बिड में अपलोड करने होंगे:—
 - (1) भूखण्डों की स्व:हस्ताक्षरारित विवरण पुस्तिका।
 - (2) निधारित Document Fee व EMD के भुगतान की रसीदें।
 - (3) पैन कार्ड की प्रति।

- (4) आधार/वोटर कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (5) कौन्सिल चैक की प्रति।
 - (6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (7) कम्पनी/फर्म आदि की स्थिति में GST पंजीयन प्रमाण की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
4. प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध e-Auction के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार आवेदकों की bids नियत दिनांक को e-Auction Progame में आमन्त्रित है।
 5. e-Auction में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल हैं जो प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।
 6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क (Documebr Fee) रूपये 590/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा।
 7. प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है, करना होगा। अन्यथा आवेदक e-Auction में भाग नहीं ले सकेगा।
 8. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय तथा असफल होने के पश्चात उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी।
 9. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से EMD की धनराशि प्रेषित नहीं की जाय, ऐसा करने पर किसी तकनीकी समस्या/विलम्ब के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
 10. e-Auction के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।

11. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-Auction में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee व EMD धनराशि का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा कराने के पश्चात् अपनी टेक्निकल बिड्स अपलोड कर दी है केवल वें आवेदक ही e-Auction में भाग ले सकते हैं।
12. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (Document Fee) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. e-AUCTION के माध्यम से आवेदकों द्वारा दी गयी अपनी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
14. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-AUCTION में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-AUCTION हेतु निर्धारित खाते में जमा कर दी है, नियत दिनांक को केवल वें आवेदक ही e-AUCTION में भाग ले सकते हैं।
15. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (डोक्यूमेंट फीस) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका की तालिका में प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम बिड (MINIMUM PER SQM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेंगे।

अतः आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम बिड के बराबर अथवा उससे ऊपर अपनी बिड दी जा सकेगी।

17. सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को विवरण पुस्तिका डाउनलोड करके सभी सूचनाओं सहित स्वः हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन कापी e-Auction में भाग लेने के लिये प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर अपलोड करनी होगी। सफल आवेदको को जिनकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी उनको, स्वीकृति पत्र जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त स्वः हस्ताक्षरित, लोड किये गये प्रपत्रों की प्रति (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
18. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। आवेदकों की उच्चतम दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
19. e-Auction के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम दर देने वाले आवेदक/e-Auction पद्धति से उच्चतम दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि(EMD), e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGSके माध्यम से वापस की जायेगी।
3. आवेदक जिस भूखण्ड/भवन के सापेक्ष निर्धारित Document Fee & EMD धनराशि अपने खाते से भुगतान कर अपनी टेक्निकल बिड अपलोड करेगा, वह उसी सम्पत्ति पर e-Auction में अपनी bids देने के लिये अधिकृत होगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने के लिये आवेदकों का अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक डोकुमेन्ट फीस व पृथक-पृथक EMD जमा करनी होगी।
20. e-Auction में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक आवेदक को e-Auction के नियत दिनांक को उनके नाम की विशिष्ट पहचान कम्प्यूटर द्वारा दी जायेगी।

21. आवेदकों के पक्ष में e-Auction पद्धति से भूखण्ड आवंटित हो जाने के पश्चात्, "भूखण्ड का फ्रीहोल्ड सहित मूल्य" अथवा "लीजरैन्ट सहित मूल्य" पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति "भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य" अथवा "लीजरैन्ट सहित मूल्य" पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि आवेदकों को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं0 AAALM0124D पर स्वयं जमाकर रसीद की छाया प्रति एवं आयकर विभाग द्वारा जारी "टी0डी0एस0 जमा का प्रमाण पत्र" मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा।
22. e-AUCTION के पश्चात् भूखण्ड का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के बाद स्थलीय माप अनुसार भूखण्ड का साईट प्लान प्राप्त होने पर यदि सम्पत्ति कॉर्नर पर स्थित होनी पायी जाती है तो भूखण्ड का मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज पृथक से देय होगा। यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल में वृद्धि पायी जाती है तो नियमानुसार भूमि का अतिरिक्त मूल्य देय होगा तथा सम्पत्ति के मूल्य में कॉर्नर चार्ज शामिल करके 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड देय होगा।
23. प्रतिभागी द्वारा e-Auction में दी गयी उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30विविध /2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। आवेदकों को उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। औद्योगिक भूखण्ड एवं सभी आवासीय श्रेणी के भूखण्डों की शेष 75 प्रतिशत धनराशि **8.95%** ब्याज दर के साथ 03 वर्ष की 06 समान छमाई किश्तों में देय होगी। प्रत्येक श्रेणी की सम्पत्ति के सापेक्ष पहली छमाई किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार शेष 05 किश्तें 6-6 माह के अन्तराल पर देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा।
24. सम्पत्ति का आवंटन-कम-किश्त पत्र निर्गत होने के साथ-साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आईडी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा। आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त

जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

25. दण्ड ब्याज—

औद्योगिक भूखण्ड एवं सभी आवासीय श्रेणी के भूखण्डों की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का **10.95%** वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

26. **e-AUCTION** का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

27. भूखण्ड का विधिवत् आवंटन कम किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25% धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी। भूखण्ड के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, निरस्तशुदा भूखण्ड को बहाल नहीं कराता है तो भूखण्ड से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**)/आवेदक, भूखण्ड के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में भूखण्ड की बहाली कराना चाहे तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार बहाली प्रक्रिया अपनाकर भूखण्ड की बहाली की जायेगी तथा भूखण्ड की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:-

<p>मद सं०-08</p>	<p>प्राधिकरण की योजनाओं में आबंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिड्यूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया—</p> <p>(1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p> <p>(2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।</p>
------------------	--	---

28. कब्जा हस्तान्तरण—

(अ) आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, भूखण्ड मूल्य में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(ब) किशतों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किशतों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किशतों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का **12%** फ्रीहोल्ड की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

29. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रूपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
30. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड कार्नर का होने की दशा में उच्चतम दर का **10%** कार्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, भूखण्ड की कीमत में शामिल करते हुए किशतें निर्धारित की जायेगी।
31. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।
32. फ्रीहोल्ड चार्ज का **12%** अंश सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किशतों के रूप में लिया जायेगा।

33. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
34. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।
35. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
36. परिसम्पत्ति का आवंटन "जहाँ है जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।

37. अन्य शर्तें-

(1) **e-Auction** में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

(2) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (**Highest bidder**) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये e-AUCTION पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-AUCTION से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

(4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

(5) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(6) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

(7) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

e-AUCTION में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा-

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:-

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

मो0नं0 व

Email id :

पता

.....
.....

Program for e-auction								
Sr. No.	Actions/Activities			Start Date & Time		Expiry Date & Time		
1.	Online Registration, Application,			06-10-2022	11.00 Hrs.	--	--	
2.	Downloading & uploading of documents and payment of EMD and Processing fee etc. for e-Auction on Website			07-10-2022	11.00 Hrs.	18-10-2022	17.00 Hrs.	
3.	Submission of online Technical BID			07-10-2022	11.00 Hrs.	19-10-2022	17.00 Hrs.	
4.	Opening & scrutiny of Application and Uploaded documents			20-10-2022	11.00 Hrs.	--	--	
5.	e-Auction			22-10-2022	11.00 Hrs.	22-10-2022	14.00 Hrs.	
				{Unlimited Auto extension of 5(five) minutes interval will be available if required}				
6.	Opening of documents			--	--	22-10-2022	15.00 Hrs.	
Schemewise Detail of Residential Plots.								
Sl. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE PER SQM.	RESERVE VALUE IN RUPEES	EMD IN RUPEES	MINIMUM PER SQM BID for Auction
DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME								
1	C	C-454	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
2	C	C- 455	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
3	C	C- 456	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
4	C	C- 457	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
5	C	C- 458	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
6	C	C-90	120.00	MIG Residential	15700	1884000	188400	157
7	I	I-132	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
8	I	I-133	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
9	I	I-136	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
10	I	I-142	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157

11	I	I-143	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
12	I	I-161	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
13	I	I-162	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
14	I	I-164	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
15	I	I-171	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
16	I	I-172	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
17	I	I-173	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
18	I	I-175	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
19	I	I-178	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
20	I	I-179	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
21	I	I-183	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
22	I	I-185	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
23	I	I-192	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
24	I	I-196	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
25	I	I-216	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
26	I	I-217	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
27	I	I-218	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
28	I	I-293	200.00	HIG Residential	15700	3140000	314000	157
29	I	I-223	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
30	I	I-226	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
31	I	I-228	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
32	I	I-229	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
33	I	I-232	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
34	I	I-237	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
35	I	I-238	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
36	I	I-245	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
37	I	I-247	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157

38	I	I-248	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
39	I	I-250	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
40	I	I-258	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
41	I	I-259	162.00	MIG Residential	15700	2543400	254340	157
SANIK VIHAR HOUSING SCHEME								
42	D	D-38/1	285.25	HIG Residential	18500	5277125	527713	185
43	AP	AP-06	67.50	LIG Residential	18500	1248750	124875	185
44	AP	AP-21	67.50	LIG Residential	18500	1248750	124875	185
45	AP	AP-34	67.50	LIG Residential	18500	1248750	124875	185
46	AP	AP-35	67.50	LIG Residential	18500	1248750	124875	185
SHARADHAPURI PHASE-2 HOUSING SCHEME								
47	B	B-241	249.77	HIG Residential	25000	6244250	624425	250
48	B	B-241/2	216.30	HIG Residential	25000	5407500	540750	250
49	B	B-241/2	216.30	HIG Residential	25000	5407500	540750	250
PALLAV PURAM PHASE-2 HOUSING SCHEME								
50	PM	PM-07	150.00	HIG Residential	22000	3300000	330000	220
51	PM	PM-08	150.00	HIG Residential	22000	3300000	330000	220
52	PM	PM-10	150.00	HIG Residential	20000	3000000	300000	200
53	PM	PM-11	150.00	HIG Residential	20000	3000000	300000	200
54	PM	PM-12	150.00	HIG Residential	20000	3000000	300000	200
55	PM	PM-13	150.00	HIG Residential	20000	3000000	300000	200
56	PM	PM-14	150.00	HIG Residential	20000	3000000	300000	200
GANGA NAGAR HOUSING SCHEME								
57	U	U-115	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
58	U	U-115/1	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
59	U	U-115/2	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
60	U	U-116	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
61	U	U-117	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215

				Residential				
62	U	U-125	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
63	U	U-128	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
64	U	U-129	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
65	U	U-130	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
66	U	U-131	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
67	U	U-138	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
68	U	U-153	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
69	U	U-174	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
70	U	U-273	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
71	U	U-283	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
72	U	U-304	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
73	U	U-305	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
74	U	U-306	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
75	U	U-307	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
76	U	U-310	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
77	U	U-311	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
78	U	U-312	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
79	U	U-396	200.00	HIG Residential	23400	4680000	468000	234
80	U	U-398	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
81	U	U-399	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
82	U	U-407	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
83	U	U-440	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
84	U	U-449	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
85	U	U-40	120.00	MIG Residential	23400	2808000	280800	234
86	U	U-41	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
87	U	U-42	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195

88	U	U-43	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
89	U	U-44	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
90	U	U-45	120.00	MIG Residential	21450	2574000	257400	215
91	U	U-46	120.00	MIG Residential	21450	2574000	257400	215
92	U	U-47	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
93	U	U-48	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
94	U	U-49	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
95	U	U-50	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
96	U	U-51	120.00	MIG Residential	23400	2808000	280800	234
97	U	U-58	120.00	MIG Residential	23400	2808000	280800	234
98	U	U-59	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
99	U	U-60	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
100	U	U-61	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
101	U	U-62	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
102	U	U-63	120.00	MIG Residential	21450	2574000	257400	215
103	U	U-187	120.00	MIG Residential	20680	2481600	248160	207
104	U	U-189	120.00	MIG Residential	20680	2481600	248160	207
105	U	U-194	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
106	U	U-195	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
107	U	U-196	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
108	U	U-197	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
109	U	U-198	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
110	U	U-199	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
111	U	U-200	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
112	U	U-201	120.00	MIG Residential	21450	2574000	257400	215
113	U	U-204	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195
114	U	U-208	120.00	MIG Residential	19500	2340000	234000	195

115	U	U-182	120.00	MIG Residential	22560	2707200	270720	226
116	U	U-184	120.00	MIG Residential	20680	2481600	248160	207
117	U	U-214	120.00	MIG Residential	22560	2707200	270720	226
118	U	U-215	120.00	MIG Residential	20680	2481600	248160	207
119	U	U-216	120.00	MIG Residential	20680	2481600	248160	207
120	U	U-217	120.00	MIG Residential	20680	2481600	248160	207
121	U	U-218	120.00	MIG Residential	20680	2481600	248160	207
122	U	U-219	120.00	MIG Residential	20680	2481600	248160	207
123	U	U-220	120.00	MIG Residential	20680	2481600	248160	207
124	U	U-221	120.00	MIG Residential	22560	2707200	270720	226
125	X	X-02	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
126	X	X-07	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
127	X	X-08	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
128	X	X-25	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
129	X	X-34	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
130	X	X-35	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
131	X	X-38/1	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
132	X	X-38/2	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
133	X	X-38/3	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
134	X	X-39/1	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
135	X	X-39/2	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
136	X	X-39/3	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
137	X	X-39/4	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
138	X	X-39/5	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
139	X	X-39/6	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
140	X	X-39/7	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
141	X	X-39/8	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195

142	X	X-40/1	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
143	X	X-40/2	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
144	X	X-40/3	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
145	X	X-44	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
146	X	X-48	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
147	X	X-50	200.00	HIG Residential	21450	4290000	429000	215
148	X	X-51	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195
149	X	X-69	200.00	HIG Residential	19500	3900000	390000	195